

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दीवानी विविध अपील नं. 3109/2018

यूनियन ऑफ इंडिया

बनाम

ममता मीणा

आदेश दिनांक :

13.07.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री एस एन मीणा, अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 22.01.2011 की बतायी गयी है और आठ लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में संशोधन 01.01.2017 से लागू हुआ है। तदनुसार प्रत्यर्थीगण/क्लेमेंट्स संशोधन से पूर्व राशि 4लाख रुपये तथा उसकी ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन के बाद की राशि 8लाख रुपये मय ब्याज देने का आदेश पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रीनादेवी, सिविल अपील नम्बर 4945/2018 जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 09मई, 2018 को निर्णीत की गयी है, का अवलम्बन लिया है। जिसके पैरा नम्बर 15.4 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि “क्षतिपूर्ति राशि दुर्घटना तिथि को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत विधि के अनुसार मय ब्याज देय है।”

सुना गया।

प्रत्यर्थीगण को अपील तथा स्थगन प्रार्थनापत्र के नोटिस तामील हेतु जारी किये जावें। तब तक अपीलार्थी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रीनादेवी (उपरोक्त) के अनुसार 4लाख रुपये तथा उस पर उत्पन्न होने वाली ब्याज की राशि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष तीन सप्ताह में जमा करावे। शेष राशि की वसूली कार्यवाही स्थगित रहेगी।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति